राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर

प 61(49)ग्रावि/म.न/नि.सा.अ/2014–15 पार्ट–2 जयपुर, दिनांकः– 2 SEP 2016

विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर राज्य स्तर पर सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जिला स्तर पर जिला संसाधन व्यक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण–

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम 2005 एवं सामाजिक अंकेक्षण नियम 2011 के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण स्टाफ हेतु विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक M-13015/2/2012-MGNREGA-VII Date 11 June 2014 एवं 11 August 2014 के अन्तर्गत किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर संविदा के आधार पर सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जिला स्तर हेतु जिला संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाना है। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय में सामाजिक विकास विशेषज्ञ व जिला संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 25-09-2016 तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड–पोस्ट से आमंत्रित किये जाते है :–

1. **सामाजिक विकास विशेषज्ञ –1**
2. **जिला संसाधन व्यक्ति –99**

सामाजिक विकास विशेषज्ञ चयन हेतु निम्न शर्ते :–

1. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण के अधीन काम करने के लिए बाध्य होगा।
2. आवेदन कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिए।
3. आवेदन कर्ता राजकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि जिसे कम से कम 5 वर्ष का Social Audits/ Accountability Related Issues का अनुभव होना चाहिये एवं गरीबो के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव (Significant Experience) होना चाहिए।
5. Social Sciences discipline में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए।
6. नियुक्ति मार्च 2017 तक के लिए होगी। इन्हे निदेशक शासी निकाय (Governing Body) से सलाह के उपरान्त Renew भी किया जा सकेगा।
7. आवेदक की दिनांक 01.01.2016 को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
8. आवेदक को रूपये 40,000 प्रतिमाह की सीमा में मानदेय देय होगा।

जिला संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु निम्न शर्ते :–

1. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के अधीन कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता राजकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होना चाहिए।
4. आवेदक सिविल सोसाइटी से जिसे कम से कम 3 वर्ष का Social Audits/ Accountability Related Issues का अनुभव हो एवं गरीबो के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव (Significant Experience) होना चाहिए।
5. आवेदनकर्ता जिस जिले से है उसी जिले हेतु एवं सिविल सोसायटी संगठन में से प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।
6. जिला संसाधन व्यक्ति का चयन मार्च 2017 तक के लिए होगा और Performance Base पर Renew किया जा सकेगा।
7. शैक्षणिक योग्यता में आवेदनकर्ता कम से कम स्नातक होना चाहिए।
8. आवेदक की दिनांक 01.01.2016 को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
9. आवेदक को रूपये 20,000 प्रतिमाह (जॉब कार्य के आधार पर) मानदेय देय होगा।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जिला संसाधन व्यक्ति को वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के साथ संलग्न मानक प्रारूप में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

नोटः—सामाजिक विकास विशेषज्ञ हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25-09-2016 तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अति. आयुक्त प्रथम, ईजीएस, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित करेगें।

ज़िला संसाधन व्यक्तियों हेतु पूर्व में जिलों द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं, उसे निरस्त करते हुए उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। जिला संसाधन व्यक्तियों हेतु आवेदन पत्र अभ्यार्थी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को दिनांक 25-09-2016 तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जाने है।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त जानकारियों के लिए विभागीय वेबसाइट www.nrega.raj.nic.in एवं www.rdprd.gov.in देखें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जिला संसाधन व्यक्तियों का अंतिम चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

सामाजिक विकास विशेषज्ञ/जिला संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु आवेदन पत्र

अपना पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाये (स्टेपल नहीं करें)

पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है:————————————

1. आवेदक का नाम (**हिन्दी में**)————————————————————

(**अग्रेंजी में**)————————————————————

2. पिता/पति का नाम————————————————————————

3. जन्मतिथि————————(प्रमाण पत्र संलग्न करे) आयु—————(दिनांक **01.01.2016** को)

4. **शैक्षणिक योग्यता–** (स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्रम संख्या	योग्यता	बोर्ड/ विश्व विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत
1	सैकण्डरी					
2	सी. सैकण्डरी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	अन्य					

5. अनुभव वर्षो में ——————————। अनुभव का क्षेत्र :– सामाजिक अंकेक्षण कार्य/गरीबों के अधिकार पर कार्य/समाज सेवा /प्रशासन /शैक्षणिक/(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. किसी सिविल सोसाइटी के सदस्य रहे है तो संस्था का विवरण देवें————————————————————————————

————————————————————————————

7. **डाक का पता:–**

(**अ**) वर्तमान पता————————————————————————

————————————————————————पिन कोड——————

(**ब**) स्थाई पता ————————————————————————

————————————————————————पिन कोड ——————

(**स**) दूरभाष नम्बर एसटीडी कोड सहित ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(**द**) मोबाइल नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(य) ईमेल आईडी

8. क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। हॉ/नहीं
(इसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. क्या आप का कभी किसी अपराधिक केस में चालान हुआ है। हॉ/नहीं
(यदि हॉ तो विवरण दें)

10. क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी रूप में जुडे रहे है, यदि हॉ तो विवरणदे–कब कहॉ, किस रूप में है?

---

11. प्रार्थना पत्र के साथ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुशंसा पत्र संलग्न करे, एवं इन संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर अंकित करें।

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें पूर्णतया सत्य है। मैने विज्ञापन में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी सामाजिक विकास विशेषज्ञ/जिला संसाधन व्यक्ति के पद (संविदा) पर लिये जाने संबंधी दिशा निर्देशों को पढ लिया है। और मुझे पता है कि सामाजिक विकास विशेषज्ञ/जिला संसाधन व्यक्ति का कार्य एक अंशकालीन कार्य है। सामाजिक विकास विशेषज्ञ/जिला संसाधन व्यक्ति को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम 2005 एवं सामाजिक अंकेक्षण स्कीम नियम 2011 व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करना है।

स्थानः– **आवेदक के हस्ताक्षर**

दिनांकः–